11

संख्या–544/XVIII-(2)/F/14-12(10)/2014

प्रेषक,

भास्करानन्द,
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशिक्षण विभाग,
उत्तराखण्ड हल्द्वानी(नैनीताल)।

31

आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास अनुभाग देहरादून दिनांक : मार्च 2014

विषयः– उत्तराखण्ड राज्य के विभिन्न स्थानों पर स्थापित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण सस्थानों के अनावासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2013–14 में ए0सी0ए0 (R) (आपदा 2013) के अंतर्गत तकनीकी शिक्षा हेतु अनुदान में प्राविधानित धनराशि को अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में अवगत कराना है कि ए0सी0ए0 (आपदा) के अंतर्गत प्रदेष की विभिन्न राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अनावासीय भवनों का निर्माण कार्य किया जाना है। इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2013–14 में एस0पी0ए0 (R) के अंतर्गत चयनित 32 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में से **परिशिष्ट–1** में उल्लिखित विवरणानुसार जनपद उत्तरकाशी, रूद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, चमोली एवं बागेश्वर के 15 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (जिनके पास भूमि उपलब्ध है) के लिए कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम द्वारा उपलब्ध कराये गये आंगणन पर टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त सिविल कार्य एवं अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार किये जाने वाले कार्यो हेतु ए0सी0ए0 (आपदा 2013) के अंतर्गत अनुदान संख्या–06 के आयोजनागत पक्ष में प्राविधानित धनराशि में से सिविल कार्य हेतु **₹ 1517.50 लाख (₹ पन्द्रह करोड, सत्रह लाख, पचास हजार मात्र)** की धनराशि को आपदा प्रभावित जनपदों में स्थापित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1– वर्णित योजनाओं हेतु भारत सरकार द्वारा सी.एस.एस./केन्द्र पोषित योजनाओं के सम्बन्ध में निर्गत दिशा–निर्देश, मानकों एवं नियमों का पालन किया जायेगा तथा तत्काल सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। स्वीकृत लागत में किसी भी दशा में परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

2– सम्बन्धित धनराशि का व्यय केवल उन्हीं योजनाओं के अन्तर्गत किया जाय, जिनके लिये यह स्वीकृति जारी की जा रही है तथा जिन योजनाओं की नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त है। धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित निदेशक, प्रशिक्षण उत्तराखण्ड, नैनीताल व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

3– धनराशि का आहरण व व्यय वास्तविक आवश्यकता के अनुसार किस्तों में किया जायेगा

4– धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की आंगणन पर तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त करा ली जायेगी।

5– उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के सुसंगत प्राविधानों तथा शासन द्वारा मितव्यता के विषय में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।

6- प्रश्नगत योजनाओं पर नियमानुसार निदेशक, प्रशिक्षण उत्तराखण्ड, नैनीताल के अन्तर्गत विभागीय टी.ए.सी. सहित टी.ए.सी. वित्त विभाग व व्यय वित्त समिति (ई.एफ.सी.) का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।

7- जहाँ आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाय।

8- निदेशक, प्रशिक्षण उत्तराखण्ड, नैनीताल आहरण एवं वितरण अधिकारियों को अवमुक्त धनराशियों का विवरण बी.एम.-10 पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार निर्धारित तिथि तक महालेखाकार, उत्तराखण्ड, राज्य सरकार एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

9- कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु निदेशक, प्रशिक्षण उत्तराखण्ड, नैनीताल पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

10- कार्य करने से पूर्व अनुमन्य दर सूची आधार पर गठित विस्तृत आंगणन की तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

11- त्रैमासिक रूप से कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं व्यय विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा और स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31 मार्च, 2014 तक पूर्ण उपभोग कर लिया जायेगा।

12- निदेशक, प्रशिक्षण उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा प्रश्नगत चालू कार्यों का मासिक रूप से भौतिक सत्यापन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

13- धनराशि आहरण सी.सी.एल. हेतु निर्धारित नियमान्तर्गत ही किया जायेगा।

14- उल्लिखित कार्यों/योजनाओं पर मानकानुसार यथाप्रक्रिया भारत सरकार आदि का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा। आंगणन में स्वीकृत डिजाइन/मानक एवं दरों के अन्तर्गत होने पर ही स्वीकृत धनराशि को व्यय किया जायेगा।

15- प्रश्नगत योजनाओं पर दूसरी किस्त उस दशा में अवमुक्त की जायेगी, जब योजनाओं की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र विभाग द्वारा उपलब्ध करा दिया जायेगा तथा सभी स्वीकृतियाँ भारत सरकार आदि से प्राप्त कर ली गयी हैं।

16- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-6 के लेखा शीर्षक-2245-प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत-80-सामान्य -800-अन्य व्यय-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना-06-ए.सी.ए. (आपदा 2013) के अन्तर्गत तकनीकी शिक्षा हेतु अनुदान-24-वृहत निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

17- यह आदेश वित्त विभाग के अ.प.सं.- 164 P/XXVII(5)/2014, दिनांक 31 मार्च, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(भास्करानन्द)
सचिव

क्रमशः.....3

संख्या–544(1)/XVIII-(2)/F/14-12(10)/2014 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. अपर मुख्य सचिव, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्तीय सेवायें, उत्तराखण्ड।
4. जिलाधिकारी,/मुख्य विकास अधिकारी, नैनीताल।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
6. निजी सचिव, मा. प्रशिक्षण मंत्री जी को मा. मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
7. आयुक्त, गढ़वाल एवं कुमायूँ मण्डल।
8. जिलाधिकारी, उत्तरकाशी, रूद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, चमोली एवं बागेश्वर।
9. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. वित्त अनुभाग–2/5, उत्तराखण्ड शासन।
11. नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
12. बजट निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
13. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
14. सम्बन्धित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य।
15. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(भास्करानन्द)
सचिव

02

प्ररिशिष्ट–1

शासनादेश संख्याः– 544/XVIII-(2)/F/14-12(10)/2014, दिनांक 31 मार्च 2014 का संलग्नक

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	आई0टी0आई0 का नाम	जनपद	व्यवसाय	टी0ए0सी0 द्वारा सिविल कार्य हेतु संस्तुत धनराशि	अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अनुसार स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4	5	6
1.	उत्तरकाशी	उत्तरकाशी	इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलैक्ट्रानिक्स, कटिंग एवं स्वीईंग	16.98	108.23
2.	चिरबटिया	रूद्रप्रयाग	इलेक्ट्रानिक्स, स्टेनो, वायरमैन, कोपा	15.98	113.02
3.	उखीमठ	रूद्रप्रयाग	कटिंग एवं स्वीईंग, वायरमैन, वैल्डर, स्टेनो	10.21	66.86
4.	बडावे	पिथौरागढ	फिटर, वैल्डर, इलैक्ट्रीशियन, कोपा	14.12	102.09
5.	नारायणबगड़	चमोली	इलेक्ट्रानिक्स, फिटर, वैल्डर, स्टेनो	12.56	73.36
6.	चिन्यालीसौड़	उत्तरकाशी	इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलैक्ट्रानिक्स	14.42	95.38
7.	डुण्डा	उत्तरकाशी	डीईओ, इलैक्ट्रशियन, स्टेनो	13.60	87.50
8.	धौन्तरी	उत्तरकाशी	फिटर, इलैक्ट्रानिक्स, इलैक्ट्रशियन,	15.51	106.08
9.	ब्रह्मखाल	उत्तरकाशी	इलैक्ट्रशियन, फैषन डिजाईनिंग, फिटर	14.07	95.59
10.	कठपुड़ियाछीना	बागेश्वर	कोपा, इलैक्ट्रशियन, कटिंग एण्ड स्वीईंग	13.71	87.39
11.	थल	पिथौरागढ़	कटिंग एण्ड स्वीईंग, स्टेनो, इलैक्ट्रशियन,	11.29	77.58
12	गंगोलीहाट	पिथौरागढ	ड्राफ्टसमैन सिविल, इलेक्ट्रानिक्स, स्टेनो	11.60	69.05
13.	राईआगर	पिथौरागढ	इलैक्ट्रशियन, स्टेनो, मोटर मैकेनिक	11.93	77.20
14.	पांखू	पिथौरागढ़	इलैक्ट्रशियन,इलेक्टानिक्स, फैशन डिजाईनिंग	11.72	86.14
15.	बसुकेदार	रूद्रप्रयाग	इलैक्ट्रशियन, फिटर	11.91	72.42
	योग			199.61	1317.89
	महायोग				1517.50

(रूपया पन्द्रह करोड़ सत्रह लाख पचास हजार मात्र)

(मास्करानन्द)
सचिव